

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा (मध्यप्रदेश)

1659
1

// विविध आदेश //

क्रमांक 193 /

/दो-15-3/90

रीवा, दिनांक 26/07/2025

श्री साजिद मोहम्मद प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड मउगंज की न्यायालय में लंबित व्यवहारवाद प्रकरण क्रमांक-187ए/2019 (गुलशेर अहमद वगै० वि० अनवर खान वगै०) एवं श्री युवराज दीक्षित, चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मउगंज के न्यायालय में लंबित व्यवहारवाद प्रकरण क्रमांक-38ए/2019 (अनवर खान वगै० वि० गुलशेर अहमद) एक दूसरे के पूरक प्रकरण होने के कारण सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा-24 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री साजिद मोहम्मद प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड मउगंज की न्यायालय में लंबित व्यवहारवाद प्रकरण क्रमांक-187ए/2019 (गुलशेर अहमद वगै० वि० अनवर खान वगै०) को उनकी न्यायालय से वापस लिया जाकर विधि अनुसार निराकरण हेतु श्री युवराज दीक्षित, चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मउगंज की न्यायालय में अंतरित किया जाता है।


(राकेश मोहन प्रधान)

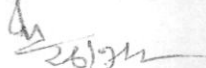
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रीवा (म०प्र०)

पृष्ठांकन क्र० 3684 /
/दो-15-3/90

रीवा, दिनांक 26/07/2025

प्रतिलिपि:-

1. प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड मउगंज, की ओर व्यवहारवाद प्रकरण क्रमांक-187ए/2019 गुलशेर अहमद वगै० वि० अनवर खान वगै० अग्रिम कार्यवाही हेतु आपकी ओर संलग्न प्रेषित है।
2. चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मउगंज, की ओर मूल व्यवहारवाद प्रकरण क्रमांक-38ए/2019 अनवर खान वगै० वि० गुलशेर अहमद अग्रिम कार्यवाही हेतु आपकी ओर संलग्न प्रेषित है।
3. अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ मउगंज।
4. प्रस्तुतकार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीवा (म०प्र०)।
5. जे०एस०ए०/डी०एस०ए० की ओर वेबसाइट में अपलोड किये जाने एवं संबंधित न्यायाधीशगण के ई-मेल में प्रेषित किये जाने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।


प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रीवा (म०प्र०)